भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1625

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

अर्थव्यवस्था का अत्यधिक वित्तीयकरण

†1625. श्री कीर्ति आजाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था के बढ़ते वित्तीयकरण से जुड़े जोखिमों का आकलन किया है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल ऋणों के हिस्से के रूप में उपभोक्ता ऋण में तीव्र वृद्धि और वित्तीय स्थिरता पर इसके संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुल ऋण में बैंकों की घटती हस्सेदारी और गैर-बैंक वित्तपोषण पर बढ़ती निर्भरता पर ध्यान दिया है;

(घ) विशेष रूप से निजी प्लेसमेंट के प्रभुत्व को देखते हुए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों में खुदरा निवेशकों की सुरक्षा करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार एआई-संचालित वित्तीय सेवाओं से उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए किसी नियामक हस्तक्षेप पर विचार कर रही है ?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): वित्तीय क्षेत्र के विनियामक लगातार क्षेत्र की प्रणालीगत मजबूती की निगरानी करते हैं। इसमें निवेश और उधार के चैनलों के माध्यम से अत्यधिक जोखिम उठाने की निगरानी जैसे पहलू शामिल हैं, जो किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ते वित्तीयकरण की विशेषताएं हैं। इसके अलावा, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय अवसरों जैसे कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), इक्विटी बाजारों, बांड बाजारों आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के वित्तपोषण के रुझानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। जैसा यथासंगत हो, विनियामक कुछ खंडों में अत्यधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपाय करते हैं।

उपभोक्ता ऋण, कोविड-19 के बाद ऋण वृद्धि का एक प्रमुख संचालक रहा है। इसमें मार्च 2021 और दिसंबर 2023 के बीच 20.6 प्रतिशत (बैंक और उच्च एवं मध्यम स्तर की

एनबीएफसी) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस खंड में अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के दौरान कई विनियामक उपाय किए। इनमें आवास, शिक्षा और वाहन ऋणों को छोड़कर, वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी दोनों के लिए उपभोक्ता ऋण जोखिमों पर जोखिम भार बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के लिए क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों पर जोखिम भार बढ़ाया गया था। इन उपायों ने समग्र स्तर के साथ-साथ उत्पाद और ऋणदाता प्रकारों दोनों में उपभोक्ता ऋण गति को धीमा किया है।

(घ): भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने और खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख पहलों में पात्र धारकों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड तिथि का मानकीकरण; स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों में निवेशकों के लिए लिक्विडिटी विंडो सुविधा की शुरूआत; भागीदारी के लिए यूपीआई इंटरफेस; ऋण प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में कमी; ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और मर्चेंट बैंकरों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर निवेशक चार्टर प्रकाशित करना और निवेशक शिकायतों का प्रकटीकरण अनिवार्य करना शामिल है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, 26 दिसंबर 2024 को एआई की उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए फ्रेमवर्क (फ्री-एआई) विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के संदर्भ के विषयों में से एक *"एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करना, यदि कोई हो और बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक, पीएसओ आदि सहित वित्तीय संस्थानों के लिए मूल्यांकन, शमन और निगरानी फ्रेमवर्क और परिणामी अनुपालन आवश्यकताओं की सिफारिश करना" है।*

प्रतिभूति बाजार में, सेबी ने एआई उपकरणों, जो उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए या तीसरे पक्ष के प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं से खरीदे गए, का उपयोग करने वाले बाजार अवसंरचना संस्थानों और पंजीकृत मध्यस्थों को अपनाये गए पैमानों की परवाह किये बिना, ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने और निवेशकों के डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

****